

कार्यालय नगर परिषद बरेला, जिला जबलपुर (म0प्र0)

फोन नं. 0761.2890426 ई.मेल नं. cmobarela@mpurban.gov.in

क्र0 914/NP/2026

बरेला, दिनांक - 04.05.2026

//ई-निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम क्षेणी के पंजीयक कृत ठेकेदार/फर्म से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 02 अगस्त 2021, से प्रभावशील प्रचलित आई.एस.एस.आर के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि (₹0 में)	धरोहर राशि (₹0 में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	समयावधि	क्र.
1	2	3	4	5	6	7	8
2026_UAD_504017_1	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष निधि मद अंतर्गत पाईप लाईन मरम्मत कार्य	8,33,593 /-	8,400 /-	2,000 /-	New PWD Reg.	2 माह	1
2026_UAD_504018_1	वार्ड क्र. 04 में आनंद पटेल से रामेश्वर पांडे के मकान तक सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य	3,83,200 /-	3,900 /-	2,000 /-	New PWD Reg.	2 माह	2
2026_UAD_504020_1	वार्ड क्र. 05 में कमानिया गेट निर्माण कार्य	3,03,971 /-	3,100 /-	2,000 /-	New PWD Reg.	2 माह	3
2026_UAD_504999_1	मेन रोड में फिल्टर प्लांट से पेट्रोल पंप तक रोड मार्किंग कार्य	2,29,862 /-	2,300 /-	2,000 /-	New PWD Reg.	2 माह	4

- शर्तें - (1) निविदा वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी।
 (2) ऑनलाईन निविदा प्रपत्र 05.05.2026 से 21.05.2026 सायं 5:30 बजे तक खरीदे जा सकेंगे।
 (3) ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 21.05.2026 सायं 5:30 बजे तक है।
 (4) निविदा दिनांक 22.05.2026 से खोली जावेगी।
 (5) टेण्डर फार्म-ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा -
 (अ) अमानत राशि (EMD) (ब) निर्धारित शपथ पत्र नवीन प्ररूप अनुसार (Affidavit)
 (स) लो0नि0वि0 (PWD) का जीवित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. नं.।
 (6) टेण्डर फार्म के अनुसार "टेक्नीकल बिड" दस्तावेज।
 (7) टेण्डर फार्म में अमानत राशि के साथ अन्य दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
 (8) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगा।
 (9) निविदा के समस्त अधिकार (स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त) नगर परिषद बरेला के पास सुरक्षित रहेगा।
 (10) ठेकेदार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 (11) निविदा प्रपत्र खरीदने के पूर्व ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण (जहां कार्य होना है) अनिवार्य रूप से करना होगा। कोई भी विवाद/अन्यथा स्थिति होने पर विभाग को कोई जवाबदारी नहीं होगी।
 (12) निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतान तत् समय प्रचलित दर से किया जावेगा।
 (13) निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनिमय एव समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
 (14) निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।
 (15) योजना अंतर्गत शासन द्वारा प्रदाय राशि के आधार पर ही भुगतान यथासमय किया जावेगा जिसे निविदाकार को मान्य करना होगा।
 (16) अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या नगर परिषद बरेला कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

- नोट- (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्रों में नहीं।
 (2) निविदाकार को ई.पी.एफ. का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
 (3) निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद बरेला

बरेला दिनांक 04.05.2026

पृष्ठा. क्रमांक 914-अ/2026

प्रतिलिपि - 1. माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद बरेला की ओर सूचनार्थ।

2. कार्यालय नगर परिषद बरेला के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

3. दैनिक समाचार पत्र.....एवं.....में उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन कम स्थान एवं कम दर पर राज्य स्तरीय पृष्ठ पर कर, प्रकाशित विज्ञापन की मूलप्रति बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद बरेला